इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197] भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2021—चैत्र 13, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2021

क्र. 5137-180-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 अप्रैल, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०२१

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०२१

[दिनांक २६ मार्च, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३० मार्च, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर, अधिनियम, २०१८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

(२) इस अधिनियम के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, २०१८ (क्रमांक ११ सन् २०१८) की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(च)" किसी व्यापारी के संबंध में "करयोग्य कुल राशि" से अभिप्रेत है, व्यापारी की कुल राशि का वह भाग, जो उसमें से निम्नलिखित कटौती के पश्चात् बाकी बचे,—

(एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किये गये मोटर स्पिरिट का विक्रय मूल्य जहां विक्रेता व्यापारी द्वारा, क्रेता व्यापारी को किए गए ऐसे विक्रय पर उपकर संदत्त किया जाना हो;

(दो) धारा ३ के अधीन उपकर के रूप में संग्रहीत की गई रकम या वह रकम जो निम्नलिखित फार्मूला लागू करके प्राप्त होती है:

$$\frac{\text{उपकर की दर X खण्ड (एक) के अधीन विक्रय मूल्य, यदि कोई हो, को घटाने के पश्चात् अभिप्राप्त कुल राशि}}{\text{(१०० + उपकर की दर)}}$$

परन्तु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपकर के रूप में संग्रहीत की गई राशि, अन्यथा कुल राशि से काटी गई है तो उपर्युक्त फार्मूले के आधार पर कोई कटौती नहीं की जाएगी;"

निरसित तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ४ सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई कोई बात, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या की गई बात समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल, 2021

क्र. 5137-180-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 16 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 16 OF 2021

THE MADHYA PRADESH MOTOR SPIRIT UPKAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021

[Received the assent of the Governor on the 2nd April, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 3rd April, 2021.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhiniyam, 2018.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021.

(2) The provisions of this Act shall come into force from such date, as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint.

Amendment of Section 2.

2. For clause (f) of Sub-Section (1) of Section 2 of the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhiniyam, 2018 (No. 11 of 2018), the following clause shall be substituted, namely:—

"(f) "taxable turnover" in relation to a dealer, means that part of the dealer's turnover which remains after deducting therefrom,—

(i) the sale price of Motor Spirit purchased from a registered dealer where cess is payable by the selling dealer on such sale made to the purchasing dealer;

(ii) amount collected by the way of cess under Section 3 or the amount received at by applying the following formula:

$$\frac{\text{Rate of cess x Turnover obtained after deducting the sale price under clause (i), if any}}{\text{(100+ Rate of cess)}}$$

Provided that no deductions on the basis of the above formula, shall be made if the amount by way of the cess collected by a registered dealer, in accordance with the provisions of this Act, has been otherwise deducted from the turnover;"

Repeal and Saving.

3. (1) The Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2021 (No. 4 of 2021) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.